

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक/ 3195 /एफ-08-09/RKVY/2013-14/14-2
प्रति,

रायपुर दिनांक 23/07/2013

श्री ई. के. मांझी

संयुक्त सचिव भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि भवन नई दिल्ली


विषय :-

स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी (SLSC) की बैठक दिनांक 21 जून, 2013 का कार्यवाही विवरण।

—00—

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत मुख्य सचिव/अध्यक्ष, SLSC की अध्यक्षता में दिनांक 21 जून, 2013 को रायपुर में संपन्न हुई स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी (SLSC) की बैठक का कार्यवाही विवरण सक्षम अनुमोदन उपरांत आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(प्रदीप कुमार दबे)
उप सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग
रायपुर दिनांक 23/07/2013

पृष्ठां. कमांक/ 3196 /एफ-08-09/RKVY/2013-14/14-2
प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. श्री अतनु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग,
3. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
4. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग,
5. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग/वन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर,
6. श्री शंकर एल., संयुक्त आयुक्त (Fisheries), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, नई दिल्ली।
7. स्टॉफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन
8. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मंत्रालय, नया रायपुर छ.ग.,
9. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छ.ग. रायपुर,
10. कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
11. कुलपति, छ.ग. कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग
12. संचालक, राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (SAMETI), रायपुर
13. संचालक कृषि/उद्यानिकी/पशु चिकित्सा सेवाएं/मत्स्योद्योग छ.ग. रायपुर
14. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. रायपुर
15. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर
16. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, रायपुर
17. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सह. दुग्ध महासंघ, रायपुर
18. कुल सचिव, छ.ग. कामधेनु विश्वविद्यालय, रायपुर
19. संचालक, विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

//02//

20. संचालक, अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
21. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स) मर्या. रायपुर
22. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, पशुधन विकास/मछली पालन विभाग
23. संभागायुक्त, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर
24. कलेक्टर जिला..... (सर्व)

 28.7.13

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत
राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की बैठक
दिनांक 21 जून, 2013**

कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21 जून, 2013 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर है।

2/ बैठक के प्रारंभ में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव छ.ग. शासन द्वारा मुख्य सचिव छ.ग. शासन तथा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय से आये संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग एवं संयुक्त आयुक्त, पशुपालन, मत्स्य विकास विभाग तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से आये समस्त अधिकारियों का स्वागत किया गया।

3/ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2012-13 में भारत सरकार से प्रदेश को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) के अंतर्गत स्वीकृत, जारी राशि एवं उसके विरुद्ध विभागवार व्यय की जानकारी प्रस्तुत की गई। विवरण निम्नानुसार है :-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)

ईकाई- लाख रु.

Department/ Organization	Sanction by SLSC	Release	Expenditure	Exp. %
Agriculture	10863.08	8204.41 + 624.79 (unspent balance)	8829.20*	100
Horticulture	10700.95	10303.79	10272.10	100
Mandi Board	1682.60	1682.60	1282.60	76
Seed Corporation	871.48	774.45	774.45	100
IGKVV	3400.57	3400.57	2863.89	84
Kamdhenu University	1389.31	1389.31	704.82	51
Fisheries	2082.15	2082.15	2068.72	99
Animal Husbandary	2680.90	2680.90	2662.62	99
C.G. Dugdh Mahasangh	1498.00	1498.00	1348.00	90
C.G. State Co-op. Markfed	3320.00	3320.00	3320.00	100
Cooperative	4997.82	4997.82	4997.82	100
Total	43486.86	40334.00	39124.22	97

* Excess amount 624.79 lakh utilized from unspent balance of 2011-12.

५

मुख्य सचिव द्वारा वर्ष 2012-13 में इ.गा.कृ.वि.वि., मण्डी बोर्ड एवं कामधेनु विश्वविद्यालय से व्यय का प्रतिशत कम होने का कारण पूछा गया। संचालक, अनुसंधान सेवाएँ इ.गा.कृ.वि.वि. द्वारा मार्च अंत में राशि प्राप्त होने के कारण व्यय का प्रतिशत कम होने तथा आगामी दो माह की अवधि में शतप्रतिशत राशि व्यय कर लिये जाने की जानकारी समिति को दी गई। प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड द्वारा निर्माण कार्य दो माह में पूर्ण किये जाकर व्यय शतप्रतिशत किये जाने की जानकारी समिति को दी गई। कुलपति कामधेनु विश्वविद्यालय ने अनुसंधान आधारित परियोजनाएं होने के कारण व्यय का प्रतिशत कम होने की जानकारी दी। मुख्य सचिव द्वारा दिये गये सुझाव:-

- (i) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत आंबटित राशि से स्वीकृत समस्त अनुसंधान कार्य तत्काल प्रारंभ कर प्राप्त राशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
- (ii) सभी विभागों से व्यय राशि को परिणाम आधारित दर्शाये जाने की अपेक्षा की गई।

4/ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2012-13 में भारत सरकार से प्रदेश को प्राप्त राशि एवं उसके विरुद्ध विभागवार व्यय की जानकारी प्रस्तुत की गई। विवरण निम्नानुसार है :-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (उपयोजना)

ईकाई- लाख रु.

Department/ Organization	Sub Scheme	Sanction by SLSC	Release	Expenditure	Exp. %
Agriculture	BGREI	13150.00	13150.00	12211.91	93
	INSIMP	715.06	916.00	484.24	53
Horticulture	VIPUA	1200.00	1200.00	946.90	79
	OPAE	137.00	69.00	24.13	35
Fisheries	NMPS	584.00	584.00	584.00	100
Animal Husbandry	NMPS	250.00	251.00	250.00	100
C.G. State Co- Operative Dugdh Mahasangh	NMPS	618.31	618.00	618.00	100
Total		16654.37	16788.00	15119.18	90

५

(I) कृषि:-

Initiative for Nutritional Security through Intensive Millet Programme (INSIMP):-

मुख्य सचिव द्वारा इस उपयोजना में वर्ष 2012-13 में जारी राशि के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत कम होने का कारण पूछा गया। संचालक कृषि के द्वारा INSIMP उपयोजना में आदान सामाग्री (बीज) उपलब्ध न होने के कारण व्यय का प्रतिशत कम होने की जानकारी समिति को दी गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि राज्य में पैदा हो रहे Millets का अधिकतम उपयोग महिला एवं बाल विकास तथा स्कूल शिक्षा विभाग के मिड-डे मिल्स कार्यक्रम में किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि Millets की पैदावार हेतु शासन से Incentive दिये जाने पर विभाग द्वारा विचार किया जाए।

(II) उद्यानिकी:-

Oil Palm Area Expansion(OPAE):-

इस उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2012-13 की घटकवार समीक्षा की गई। मुख्य सचिव, छ.ग. शासन एवं अध्यक्ष SLSC ने योजना के अल्प प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये कम पूर्ति का कारण जानना चाहा। संचालक उद्यानिकी ने अवगत कराया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु 3 कम्पनियों से MOU किया गया है तथा 24 हेक्टेयर क्षेत्र में उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों का रोपण कर लिया गया है। पौध रोपण सामग्री की पूर्ण उपलब्धता नहीं होने के कारण लक्ष्यानुरूप प्रगति नहीं हो पायी है। संचालक उद्यानिकी ने यह भी अवगत कराया कि इस वर्ष इस कार्य की शतप्रतिशत पूर्ति हो जावेगी।

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि आइल पॉम प्लान्टेशन के साथ-साथ फारवर्ड लिक्वेंज हेतु प्रसंस्करण उद्योगों से भी अनुबंध किया जाना चाहिए।

Vegetable Initiative for Peri Urban Area (VIPUA):-

मुख्य सचिव, ने इस उपयोजना की समीक्षा करते हुये वित्तीय प्रगति पूर्ण नहीं होने का कारण जानना चाहा। इस पर संचालक उद्यानिकी ने अवगत कराया कि योजना के घटक रिटेल आऊटलेट का कार्य पूर्ण नहीं होने तथा वेंडिंगकार्ट में कम सब्सिडी होने के कारण योजना के वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि स्थानीय स्तर के सब्जी विक्रेताओं को रिटेल आऊटलेट का लाभ दिया जावे। अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त

विभाग के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि वेंडिंगकार्ट के स्थान पर छोटी यूटिलिटी वेन भी दी जा सकती है, जिसके माध्यम से कृषक अपने उत्पादों को विक्रय के लिये समय पूर्व बाजारों में ला सकें। इस बाबत अन्तवसायी निगम से भी चर्चा की जावे।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि फल-सब्जी मण्डी प्राणों में मंडी बोर्ड द्वारा सब्जी उत्पादक संगठनों (FPOs) को भी सब्जी/फल का विक्रय हेतु स्थल उपलब्ध कराया जाए। मुख्य सचिव में यह भी निर्देश दिये कि छ.ग. गृह निर्माण मंडल और एन आर डी ए जैसे प्राधिकरणों द्वारा निर्मित कॉलोणियों से भी लिंक किया जाए।

संयुक्त सचिव, भारत सरकार ने योजनांतर्गत FPO एवं FIG निर्माण की स्थिति के बारे में जानना चाहा। संचालक ने अवगत कराया कि जिला धमतरी, रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग में FPOs एवं FIGs निर्माण का कार्य हो चुका है, केवल मार्केट एग्रीगेटर का चुनाव होना शेष है। संयुक्त सचिव, भारत सरकार ने सुझाव दिया कि यह कार्य शीघ्रपूर्ण करें, जिससे कृषक अपने उत्पादों को बाहर भेज सकें।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2013-14 के स्वीकृति हेतु प्रस्ताव:-

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव द्वारा वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संसूचित किये गये Allocation की जानकारी निम्नानुसार दी गई :-

ईकाई-करोड़ रु. में		
S.N.	Name of Scheme	Allocation by GOI
1	Normal RKVY	248.55
2	BGREI	204.51
3	INSIMP	0.00
4	Vegetable Initiative	12.00
5	Oil Palm	1.25
6	NMPS	14.00
7	Nutri Fram (Pilot Scheme)	5.67
TOTAL		485.98

5/ कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा समिति को यह भी बताया गया कि योजना आयोग भारत सरकार द्वारा यह संसूचित किया गया है कि कृषि एवं सम्बद्ध



क्षेत्र में व्यय के संबंध में जो जानकारी योजना आयोग को प्रेषित की गई है, उसमें खाद्य विभाग से संसूचित मुख्यमंत्री खाद्यान सुरक्षा योजना एवं अन्य योजनाओं के व्यय भी शामिल है, जो नहीं होने चाहिए। इस संदर्भ में संयुक्त सचिव भारत सरकार कृषि मंत्रालय से चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय योजना आयोग को यथोचित उत्तर के अलावा सचिव कृषि, भारत सरकार को भी लिखा जाए।

6/ भारत सरकार को विभाग द्वारा प्रेषित राज्य स्तरीय **Screening Committee** की बैठक दिनांक 23 मार्च, 2013 के कार्यवाही विवरण में सम्मिलित परियोजनाओं को भारत सरकार से प्राप्त Allocation के विरुद्ध विभागवार परियोजनाओं को स्वीकृति हेतु प्रस्तुतिकरण किया गया। जिस पर समिति द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)

(I) कृषि विभाग-

संचालक कृषि द्वारा योजनांतर्गत किये गये प्रस्तुतिकरण पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गए :-

At Subsidy to Farmer to SHALLOW TUBE WELL घटक पर चर्चा में अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा पृच्छा की गई कि उक्त कार्य को राज्य के कितने जिलों में लिया जाना है। संचालक द्वारा अवगत कराया कि महानदी व शिवनाथ नदी के तट के किनारे स्थित जिलों में शैलोड्यूबवेल स्थापित किये जा रहें हैं। समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि यह कार्यक्रम राज्य के जनजाति बाहुल्य जिलों में भी प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जावें।

संयुक्त सचिव भारत सरकार के द्वारा इस योजना में प्रति ईकाई प्रस्तावित अनुदान रू. 20,000 के बदले RADP योजना के प्रावधान के अनुसार रू. 15000 किये जाने का सुझाव दिया। संचालक कृषि ने समिति को बताया कि इस योजना का संचालन RKVY के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से निरंतर करते हुए रू. 20,000 का अनुदान दिया जा रहा है। अतः निर्णय लिया गया कि यदि पूर्व वर्षों में इस योजना अंतर्गत रू. 20,000 प्रति हितग्राही अनुदान दिया जा रहा है तो इस घटक में वर्ष 2013-14 में भी रू. 20,000 प्रति ईकाई शैलोड्यूबवेल की दर से

अनुदान दिया जाए। प्रकरण पर समग्र रूप से चर्चा उपरांत राशि रू. 1000.00 लाख की स्वीकृति संचालक द्वारा प्रस्तुत इकाई लागत के अन्तर्गत प्रदान की गई।

2. Subsidy to Farmers for INSTALLATION OF SOLAR IRRIGATION PUMP संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा सिंचाई पम्प पर भारत सरकार की अन्य योजनाओं की भाँति 50 % अधिकतम रू. 10,000 प्रति ईकाई पम्प पर अनुदान देने का सुझाव दिया। संचालक कृषि ने समिति को अवगत कराया कि इस घटक में विगत वर्षों में रू. 55,000 प्रति हितग्राही की दर से कृषकों को लाभान्वित किया जाता रहा है, अतः निर्णय लिया गया कि यदि पूर्व वर्षों में इस योजना अंतर्गत रू. 55,000 प्रति हितग्राही प्रति पम्प की दर से अनुदान दिया जा रहा है तो इस घटक में वर्ष 2013-14 में भी रू. 55,000 प्रति हितग्राही प्रति पम्प की दर से अनुदान दिया जावे, इस प्रकार इस घटक हेतु राशि रू. 55.00 लाख की स्वीकृति दी गई।

3. Top up subsidy for Water Recharging Tube Well Well

भारत सरकार से प्राप्त टीप में आरएडीपी के प्रावधान अनुसार केवल असाध्य नलकूपों पर रू. 4000.00 की दर से अनुदान का प्रावधान है। चूंकि राज्य शासन द्वारा नये नलकूपों के खनन के साथ ही रिचार्ज स्ट्रक्चर स्थापित किया जाना अनिवार्य रखा गया है। चर्चा उपरांत RADP योजना के प्रावधान के अनुसार रू. 4000/- प्रति असाध्य नलकूप रिचार्ज की दर से स्वीकृति दी गई।

B4. Analysis charges of soil samples analyzed by NGO/SAU/Fertilizer Co. घटक चूंकि प्रयोगशाला अधोसंरचना निर्माण हेतु राशि रा.कृ.वि.यो. अंतर्गत दी गई है। अतः प्रस्तावित ऑपरेशनल कास्ट रू. 35.00 लाख की स्वीकृति हेतु असहमति व्यक्त की गई।

C5. Distribution of Rice/Hybrid Maize + NPK(Fertilizer) Kits to Forest Dwellers घटक पर चर्चा में अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग द्वारा वन पट्टाधारियों के एक एकड़ भूमि हेतु आदान उपलब्ध कराये जाने के साथ उनकी शेष भूमि के लिए बैंक ऋण की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। समिति द्वारा चर्चा उपरांत उक्त घटक का व्यापक प्रचार कलेक्टर/वनमंडलाधिकारियों के माध्यम से कराये जाने के सुझाव के साथ यथाप्रस्तावित राशि रू. 2545.00 लाख की स्वीकृति दी ।

D6. Assistance to Shaheed Veer Narayan Singh Block Level Multipurpose Farmers Service Centre for maintenance and other contingent expenditure एवं E7. Assistance for

establishment of Agro-Service Centre (Agri-implement custom hiring) घटकों पर चर्चा उपरांत समिति द्वारा यथाप्रस्तावित सहमति दी गई।

E8. Purchase of paddy transplanter for divisional/ district offices of Agri. Engineering:-

संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा इस योजना के लिये प्रस्तावित राशि रू. 21.2 लाख को भारत सरकार द्वारा संचालित Central Sector Scheme "Promotion and Strengthening of Agricultural Mechanization through Training, Testing and Demonstration" योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश देते हुए, स्वीकृति हेतु असहमति व्यक्त की गई।

99. Assistance to farmers for Transplanting by Paddy Transplanter

योजना के प्रस्तुतीकरण के दौरान संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित अनुदान की दर को अधिक बताते हुए आंध्र प्रदेश में भी समरूप घटक संचालित है इसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी अनुदान दिया जावे। इस पर संचालक कृषि ने जानकारी दी कि इस घटक में छ.ग. राज्य में खेत की तैयारी से लेकर रोपणी तैयार करने एवं ट्रांसप्लान्टर द्वारा रोपित करने पर होने वाले व्यय पर गत वर्ष दी गई स्वीकृति की भांति रू. 7500/- प्रति हेक्ट. की दर से प्रदर्शन अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। अतः निर्णय लिया गया कि यदि पूर्व वर्षों में इस योजना अंतर्गत रू. 7500 प्रति हेक्ट. अनुदान दिया जा रहा है तो इस घटक में वर्ष 2013-14 में भी रू. 7500 प्रति हेक्ट. की दर से अनुदान दिया जाये। अतः उपरोक्तानुसार राशि रू. 150.00 लाख की स्वीकृति दी गई। (विवरण परिशिष्ट-2 पर है)

100. Micro-Management Work Plan

मेक्रोमेनेजमेंट वर्क प्लान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 से बंद किये जाने एवं इसके घटकों की स्वीकृति रा.कृ.वि.यो. अंतर्गत कराये जाने के सुझाव/निर्देश के अनुक्रम में मेक्रोमेनेजमेंट वर्क प्लान अंतर्गत प्रस्तावित उप घटकों (स.क्र. 10 से 13)की स्वीकृति पर सहमति इस शर्त पर दी गई कि प्रावधानित राशि का उपयोग में लायी जाने वाली फसलों के बीज की किस्में 10 वर्ष से अन्दर की रिलीज किस्मों हेतु राशि का उपयोग किये जाने की शर्त पर राशि रू. 1085.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

F14. Distribution of Agri. Imp. as per MMA Norms मैक्रोमैनेजमेंट वर्कप्लान के अर्न्तगत स्वीकृत ट्रेक्टर को छोड़कर शेष कृषि यंत्रों तथा उन पर मैक्रोमैनेजमेंट वर्कप्लान में देय अनुदान सीमा तक कृषि यंत्रों को अनुदान देने हेतु राशि रु. 1500.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। यंत्रवार विवरण परिशिष्ट-2A पर है।

F15. Nutri Farms नवीन पायलट योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये एलोकेशन राशि रु. 567.00 लाख के विरुद्ध बीज उपलब्धता के आधार पर चर्चा उपरांत राशि रु. 297.50 लाख के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

16 प्रशासकीय व्यय हेतु 184.80 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जो कि RKVY के प्रशासकीय व्यय की अनुमोदित प्रावधान की सीमा के अधीन होगी।

समिति द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि बीज उत्पादन के महत्व को देखते हुए विभाग द्वारा समीक्षा कर बीज उत्पादन पर प्रोत्साहन एवं राज्य की आवश्यकता अनुसार उत्पादन हेतु उत्पादन कार्यक्रम लिया जाना सुनिश्चित करें।

राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) के द्वारा उपरोक्त शर्तों के अध्यक्षीन कृषि संचालक की योजनावार सम्मुख अंकित घटकों में कुल रु. 8267.30 लाख स्वीकृत की गई। (विवरण परिशिष्ट-2 पर है)।

(II) उद्यानिकी विभाग-

- संचालक उद्यानिकी ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) वर्ष 2013-14 के लिये राज्य में कुल 11 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि रु. 8300.00 लाख की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया। संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा भेजे गये Observations के अनुरूप प्रस्तुत कार्ययोजना (रा.कृ.वि.यो.(सामान्य), आइलपॉम एवं वेजिटेबल इनेसिएटिव इन पैरी अरबन एरिया) को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई है। काजू के नवीन उद्यान गैर एन.एच.एम. जिलों में ही स्थापित किये जायें।
- मुख्य सचिव, छ.ग. शासन ने संचालक उद्यानिकी को निर्देशित किया कि फलों का क्षेत्रविस्तार जिस गति से हो रहा है, उसी अनुपात में प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित की जावें, जिससे प्राप्त उत्पादों का मूल्य संवर्धन किया जा सके। अपर मुख्य सचिव, वित्त ने यह सुझाव दिया कि प्रचलित प्रजातियों की सब्जियों के

Handwritten signature

साथ-साथ नई प्रजातियों की सब्जियों को कम से कम 10% शामिल किया जावे।

- अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा राज्य में उच्चगुणवत्ता के बीज उत्पादन कार्यक्रम लिये जाने हेतु निर्देशित किया तथा सुझाव दिया गया कि नई प्रजातियों की सब्जियां भी राज्य में उगाई जावें। यह निर्देश भी दिये गये कि पूर्व वर्षों में जहां प्रदर्शन कार्यक्रम लिये गये हैं, वहां प्रदर्शन कार्यक्रम कम लिये जावे, तथा नये जिलों में ज्यादा प्रदर्शन लिये जावे। यह निर्देश भी दिये गये कि जहाँ आलू की खेती अधिक होती है, वहाँ अधिक से अधिक आलू का कार्यक्रम लिया जावे। संचालक उद्यानिकी ने अवगत कराया कि खरीफ 13-14 में राज्य के सरगुजा, जशपुर एवं बलरामपुर जिले में आलू का प्रदर्शन लिया जा रहा है तथा आगामी रबी मौसम में भी इन क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जावेगा क्योंकि राज्य के इन क्षेत्रों में खरीफ एवं रबी आलू का उत्पादन कार्यक्रम वृहद पैमाने पर लिया जाता है। संयुक्त सचिव भारत सरकार के सुझाव अनुसार आलू प्रदर्शन प्रति जिला 5-10 तक सीमित किया जाने का निर्णय लिया गया।
- अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग ने सुझाव दिया कि क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम कम लिये जावे तथा पूर्व वर्षों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वित कार्यों का "थर्ड पार्टी मूल्यांकन" कराया जावे। संचालक उद्यानिकी ने अवगत कराया कि "नाबार्ड कन्सलटेंसी सर्विसेस(नेबकान्स)" को "थर्ड पार्टी मूल्यांकन" हेतु छ.ग. शासन, कृषि विभाग ने अधिकृत किया है जिनके द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यों तथा चालू बारहवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यों का मूल्यांकन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मुख्य सचिव, छ.ग. शासन ने मूल्यांकन एवं प्रशासनिक व्यय मद में राशि प्रावधानित करने के निर्देश दिये।
- मुख्य सचिव छ.ग. शासन ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं "स्किल डेव्हलपमेंट" के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संपन्न कराने तथा स्किल डेव्हलपमेंट मिशन से लिंक करने हेतु निर्देश दिए।
- संयुक्त सचिव भारत सरकार द्वारा चर्चा में निम्न सुझाव दिये गये—

५

1. Spices Production एवं Flower Area Expansion कार्यक्रमों को गैर एन.एच.एम. जिलों में ही लिये जाये,
 2. एन.एच.एम. योजना के प्रावधान अनुसार शेडनेट की लागत रू. 600 प्रति वर्ग मी रखा जाये एवं कार्यक्रम को गैर एन.एच.एम. जिलों में ही लिये जाये,
 3. एन.एच.एम. योजना के प्रावधान अनुसार पावर आपरेटेड मशीन की लागत रू. 35000 प्रति इकाई रखा जाये एवं कार्यक्रम को गैर एन.एच.एम. जिलों में ही लिये जाये,
 4. Skill Development योजना में वर्ष 2013-14 में 2-4 प्रशिक्षण कार्यक्रम लिये जावें।
- राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) के द्वारा चर्चा उपरांत उपरोक्त शर्तों के आधार पर विभाग की योजनावार सम्मुख अंकित घटकों को यथाअनुपात कम करते हुए कुल रू. 5575.00 लाख स्वीकृत किया गया। (विवरण परिशिष्ट-3 पर है)।

(III) छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम-

राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) के द्वारा समग्र रूप से चर्चा एवं संयुक्त सचिव भारत सरकार, कृषि मंत्रालय की सहमति उपरांत प्रस्तुत योजनाओं के सम्मुख अंकित घटकों में कुल रू. 2453.30 लाख स्वीकृति दी गई। (विवरण परिशिष्ट-4 पर है)

(IV) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय-

- बैठक में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं के (द्वितीय भाग को) वित्तीय वर्ष 2013-14 में क्रियान्वयन हेतु परियोजना क्रमांक 1 से 17 हेतु 118.15 लाख की विमुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजनाएँ जो विश्वविद्यालय के रूटिन वर्क के अंतर्गत संचालित है और जिन्हें आर्थिक सहायता हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना से अलग किया जा सकता है, यथा परियोजना क्रमांक 18, 21 एवं 22 को वर्ष 2013-14 हेतु अस्वीकृत किया गया। परियोजना क्रमांक 19, 20, 23, 24 एवं 25 के क्रियान्वयन हेतु राशि 1116.14 लाख का अनुमोदन प्रदान



किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में स्वीकृत कुल 25 परियोजनाओं में से 22 परियोजनाओं हेतु राशि 1234.29 लाख रु. की स्वीकृति वर्ष 2013-14 हेतु प्रदान की गई। (विवरण परिशिष्ट-5 पर है)

- वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु प्रस्तुत नवीन परियोजनाओं के अंतर्गत परियोजना क्रमांक-1 Establishment of Mother Orchard for production of quality planting material of Dry land fruits को संयुक्त सचिव भारत सरकार के सुझाव पर एक 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल की नर्सरी हेतु NHM के प्रावधान के अनुसार राशि रु. 25.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।
- परियोजना क्रमांक-2 Development of Bhatapara Farm के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि रु. 1053.00 लाख को अनुमोदित किया गया। (विवरण परिशिष्ट-5 पर है)

(v) मछली पालन विभाग-

1. मुख्य सचिव द्वारा जानकारी चाही गई कि मत्स्योद्योग विभाग द्वारा पिछले वर्ष कितने नए जलक्षेत्र विकसित किए गए। संचालक द्वारा बताया गया कि Normal RKVY में 68.75 हेक्टेयर तथा NMPS योजना में 50.00 हेक्टेयर कुल 118.75 हेक्टेयर जलक्षेत्र विकसित किया गया। संचालक द्वारा यह भी बताया गया कि नव निर्मित एनीकट में विभाग द्वारा मत्स्य बीज संचयन किया गया है। प्रमुख सचिव मत्स्य पालन द्वारा औद्योगिक एनीकट तथा बड़े जलाशयों में मत्स्य पालन की पॉलिसी बनाए जाने की आवश्यकता बताई। मुख्य सचिव ने इस संदर्भ में पुथक से नीति प्रारूप प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
2. मुख्य सचिव महोदय द्वारा संचालक से पूछा गया कि मत्स्य कृषक विकास अभिकरण बंद होने की स्थिति में योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार होगा। संचालक द्वारा उक्त योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जाने की जानकारी दी गई, जिस पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। संचालक द्वारा यह भी बताया गया कि सभी योजनाओं का मूल्यांकन नाबार्ड द्वारा किया जाना है।

3. बैठक में Financial Assistance for balanced integrated supplementary feed for fish पर चर्चा उपरांत Unit cost का 10% अर्थात् रुपये 0.10 लाख प्रति यूनिट योजना स्वीकृत करते हुए योजना स्वीकृत की गई। इसी प्रकार Establishment of cold chain system for fish marketing योजना पर चर्चा में मुख्य सचिव महोदय द्वारा Marketing के प्रत्येक चरण में Cold Chain को बनाए रखने के सुझाव दिए। Ornamental fish की योजना RKVY में लिए जाने मुख्य सचिव महोदय के सुझाव पर संचालक द्वारा बताया गया कि यह योजना धमतरी जिले में शुरू हो गई तथा यह योजना RKVY में शामिल की गई है।
4. उपरोक्त चर्चा उपरांत विभाग की रू. 1927.89 लाख की स्वीकृति की गई। (विवरण परिशिष्ट-6 पर है)।

(VI) पशुधन विकास विभाग-

संचालक पशुधन विकास द्वारा सामान्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2013-14 के लिये कुल 10 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि रू. 4599.67 लाख की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया। इनमें से कुल 6 योजनायें स. क्र. 2, 3, 5, 6, 7 एवं 9 (रू. 658.45 लाख) यथा प्रस्तावित स्वीकृत किया गया।

1. स.क्र. 8 में प्रस्तुत योजना एफ.एम.डी. कन्ट्रोल के सभी कम्पोनेन्ट्स एवं लक्ष्यों में 50 प्रतिशत कटौती करते हुए योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर करते हुए राशि रू. 116.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। (विवरण परिशिष्ट-7 पर है)
2. स.क्र. 4 डेयरी उद्यमिता विकास योजना अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की गई संचालक पशुचिकित्सा सेवायें द्वारा अवगत कराया गया कि पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग (DAHD&F, GoI), भारत शासन से जून 2012 से वित्तीय विमुक्तियां बंद होने के फलस्वरूप नाबार्ड द्वारा, विगत वर्षों में प्रदेश के विभिन्न बैंकों के नियमानुसार स्वीकृत प्रकरणों को बंटन के अभाव में रोक दिया गया था। वर्ष 2012-13 में राज्य शासन द्वारा भारत शासन के स्वीकृत अनुदान प्रतिशत के समकक्ष अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किया गया था (कुल अनुदान अ. जा./अ.ज.जा हेतु 66.66 प्रतिशत एवं सामान्य हेतु 50 प्रतिशत) जो कि उपरोक्त कारण से उपयोग नहीं किया जा सका। इस प्रकार प्रदेश के विभिन्न



बैंकों में लगभग रू 400 लाख के back log प्रकरणों को भारत सरकार के डेयरी उद्यमिता विकास योजना के नियमानुसार अनुदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रा.कृ.वि.यो अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। चर्चा उपरान्त केवल वर्ष 2012-13 एवं उसके पूर्व वर्षों के केवल backlog प्रकरणों पर अनुदान प्रदाय करने हेतु प्रस्तावित राशि रू 400 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। (विवरण परिशिष्ट- 7 पर है)

3. स.क्र.10 प्रस्तावित विशेष चारा विकास कार्यक्रम (रू 606 लाख) को चर्चा उपरान्त समिति द्वारा अस्वीकृत किया गया।
4. स.क्र. 1.a योजना "Establishment and Operation of Integrated Livestock Development Program through PPP Model" अंतर्गत निर्णय लिया गया कि पूर्व SLSC दिनांक 08.05.2012 एवं SLSC दिनांक 29.10.2012 के परिपेक्ष्य में चयनित एजेन्सी के विगत वर्षों में प्रदेश में किये गए कार्यों का किसी Independent organization द्वारा Third Party Evaluation के पश्चात् प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तब तक प्रस्तावित रू 730.75 लाख की विमुक्ति स्थगित रखी जाये। प्रस्ताव पर भारत सरकार पशुपालन विभाग का अभिमत भी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
5. इसी योजना के स.क्र. 1.b Phase II अंतर्गत प्रस्तावित रू 1827 लाख को चर्चा उपरान्त समिति द्वारा अमान्य किया गया।

(VII) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित-

बैठक में कुल 8 योजनाएं राशि रू. 1887.66 लाख की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई, जिनमें से योजना क्र. 1 एवं 2. To Establish Integrated Mobile Veterinary cum Livestock Development Centre in Milk Potential District of Chhattisgarh में वर्ष 2013-14 हेतु प्रस्तावित राशि रू. 94.14 लाख के संबंध में निर्णय लिया गया कि इस योजना के संबंध में पशुधन विकास विभाग के प्रस्ताव पर लिए गये निर्णय अनुरूप एन.जी.ओ. द्वारा संपादित कार्यों का किसी निष्पक्ष एजेंसी द्वारा Third Party Evaluation कराया जाये तथा निष्कर्षों से समिति को अवगत कराया जाए।

योजना क्रमांक 3. Promotion and Expansion of Milk Marketing of Chhattisgarh हेतु वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित राशि रू. 299.52 लाख के स्थान पर राशि रू. 100.00 लाख अनुमोदित किया गया। (विवरण परिशिष्ट-8 पर है)

योजना क्रमांक 4. Development of Dairy coop. Societies under Chhattisgarh Dugdh Mahasangh अंतर्गत प्रस्तावित राशि रू. 348.75 लाख के संबंध में राशि रू. 100.00 लाख स्वीकृत करने का अनुमोदन किया गया। (विवरण परिशिष्ट-8 पर है)

योजना क्रमांक 5. Strengthening of Dairy Plant and Chilling Centers at Raigarh Dairy- योजनांतर्गत राशि रू. 225.00 लाख के संबंध में प्रबंध संचालक, दुग्ध महासंघ द्वारा बताया गया कि पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा संचालित रायगढ़ डेयरी दिनांक 17.04.2013 से दुग्ध महासंघ को स्थानांतरित की गई है जिसके उन्नयन एवं विस्तार हेतु उक्त राशि की आवश्यकता है। विचारोपरांत राशि रू. 225.00 लाख अनुमोदित की गई। (विवरण परिशिष्ट-8 पर है)

योजना क्रमांक 6. Strengthening of Dairy Plant and Chilling Centres at Basna Distt. Mahasamund and Muzghan Distt. Dhamtari - योजनांतर्गत प्रस्तावित राशि रू. 360.00 लाख के संबंध में प्रबंध संचालक, दुग्ध महासंघ द्वारा अवगत कराया गया कि इन दुग्ध शीत केन्द्रों में दुग्ध संकलन लगातार बढ़ रहा है। बसना शीत केन्द्र में दुग्ध संकलन क्रमशः माह जनवरी 2013 में 14799 कि. ग्रा., माह मार्च में 19313 कि.ग्रा., माह अप्रैल में 21394 कि.ग्रा., माह मई में 21586 कि.ग्रा. तथा माह जून में दिनांक 19 जून 2013 तक औसत 22605 कि. ग्रा. संकलन हुआ है। अतः दुग्ध संकलन की संभावित वृद्धि को देखते हुए DPR में तत्संबंधी संघटक अति आवश्यक है। विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इन दुग्ध शीत केन्द्रों में दुग्ध संकलन वृद्धि एवं इस योजना का विस्तृत डीपीआर प्रतिवेदन भारत सरकार को सहमति हेतु भेजा जावे भारत सरकार द्वारा दी गई टीप /अभिमत के अध्याधीन योजना भारत सरकार को सहमति हेतु भेजी जावे। स्वीकृत योजना का Duplication न हो यह सुनिश्चित किया जावे। भारत सरकार



से योजना क्रियान्वयन हेतु सहमति प्राप्त होने की शर्त के अध्याधीन राशि रु. 360.00 लाख की स्वीकृति दी गयी। (विवरण परिशिष्ट- 8 में संलग्न)

योजना क्रमांक 7. Integrated management information system for procurement production and marketing of milk and milk product - चर्चा
उपरांत प्रकरण पर समिति द्वारा असहमति दी गई। संस्था द्वारा इसका DPR NIC के माध्यम से तैयार कराया जाए।

योजना क्रमांक 8. Provide Balance Cattle Feed in Milk Potential Districts of Chhattisgarh - प्रबंध संचालक, दुग्ध महासंघ द्वारा बताया गया कि इस योजना
अंतर्गत वर्ष 2012-13 में राशि रु. 500.00 लाख स्वीकृत थी। राशि रु. 500.00 लाख के विरुद्ध माह अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक राशि रु. 260.17 लाख दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित की गयी है। वर्ष 2013-14 में 50 हजार लीटर प्रतिदिन के संकलन के औसत आधार पर दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर दूध देने पर 250 ग्राम पशु आहार या अधिकतम 3.75 रुपये का अनुदान हेतु कुल राशि रु. 686.57 लाख का प्रस्ताव है जिसमें से पूर्व की शेष राशि रु 239.83 लाख समायोजित करते हुए रु. 436.57 लाख की आवश्यकता है। समिति द्वारा भारत सरकार के द्वारा इस योजना के बारे में दी गई टीप की प्रतिपूर्ति करते हुये परियोजना का डुप्लीकेशन न हो इस शर्त के अध्याधीन योजना क्रियान्वयन हेतु राशि रु. 436.57 लाख का अनुमोदन किया गया।

समिति द्वारा चर्चा उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा प्रस्तावित राशि रु. 1887.66 लाख के विरुद्ध राशि रु. 1221.57 लाख एवं अनुमोदित राशि के विरुद्ध 1 प्रतिशत राशि रु. 12.21 लाख प्रशासनिक व्यय को शामिल कर राशि रु. 1233.78 लाख का अनुमोदन किया गया। (विवरण परिशिष्ट-8 में संलग्न)

(VIII) छ.ग. कामधेनु विश्वविद्यालय-

बैठक में संयुक्त आयुक्त, पशुपालन, मत्स्य विकास विभाग भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा प्रेषित टिप्पणी में विश्वविद्यालय के प्रस्तावों पर आईसीएआर की टिप्पणी अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। समिति द्वारा कुलपति कामधेनु द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि वर्ष 2012-13 में

स्वीकृत परियोजनाएं (परिशिष्ट-9 में संलग्न) राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है इस शर्त के अध्याधीन समग्र रूप से चर्चा उपरांत वर्ष 2012-13 के स्वीकृत परियोजनाओं में वर्ष 2013-14 हेतु प्रावधानित राशि रू. 1187.50 लाख की विमुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया। (विवरण परिशिष्ट-9 में संलग्न)

(IX) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित-

प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में स्वीकृत घटकों के संशोधित अनुमोदन के प्रस्तावों पर समिति द्वारा सक्षम तकनीकी एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किये जाने की शर्त पर सहमति दी गई । (विवरण परिशिष्ट- 10 में) समिति द्वारा वर्ष 2013-14 के नवीन दो प्रस्तावों पर चर्चा उपरांत राशि रू. 7685.11 लाख की स्वीकृति सशर्त प्रदान की कि प्रस्ताव पर सक्षम तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जावें। (विवरण परिशिष्ट-10 में संलग्न)

(X) छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित-

समिति द्वारा चर्चा उपरांत भारत सरकार के टिप्पणी के पालन किये जाने की स्थिति में राशि रू. 6496.70 लाख की सहमति दी गई। (विवरण परिशिष्ट -11 में संलग्न)

अपर मुख्य सचिव (वित्त) द्वारा यह सुझाव दिया गया कि वन पट्टा धारियों तथा Share Croppers (रिगहा) के Joint Liability Group बनाकर उन्हें ऋण सुविधा दिये जाने तथा प्रोत्साहन संबंधी योजना तैयार कर RKVY अंतर्गत स्वीकृति दी जानी चाहिए, जिसके लिए वर्ष 2013-14 में रू. 10.00 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाए। समिति द्वारा सैद्धांतिक सहमति देते हुए योजना का विवरण भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। (विवरण परिशिष्ट -11 में संलग्न)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (उपयोजना)

(I) कृषि विभाग-

(A) Bringing Green Revolution in Eastern India (BGREI):-

4

- अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा BGREI अंतर्गत Construction of Minor Irrigation tank & Construction of Check Dams घटकों पर प्रस्तावित राशि का अनुपात अधिक होने के कारण सुझाव दिया गया कि इन घटकों पर आवश्यकतानुसार लक्ष्य ही रखे जायें, शेष राशि अन्य उपयोगी घटकों हेतु प्रस्तावित की जाये।
- योजनान्तर्गत धान प्रदर्शन केवल गैर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (चावल) में आयोजित होंगे।
- शेष अन्य घटक राज्य के समस्त जिलों में क्रियान्वित होंगे। प्रस्तावित धान प्रदर्शन में अधिक से अधिक श्री पद्धति से धान उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाये।
- योजना क्रियान्वयन हेतु छ.ग. के प्रस्ताव पर भारत शासन द्वारा दी गई टीप अनुसार प्रस्ताव को संशोधित कर भारत सरकार से प्राप्त सहमति अनुसार योजना क्रियान्वयन करने की शर्त पर राशि रू. 204.51 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। (विवरण परिशिष्ट-12 में संलग्न)

(B) Initiative for Nutritional Security through Intensive Millets Promotion (INSIMP) :-

- अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि INSIMP योजना अंतर्गत ली जाने वाली फसलें जैसे रागी, कोदो, कुटकी को मिड-डे मिल्स एवं पी.डी.एस. में शामिल किया जावे। अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु योजना में प्रावधानित रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जावे। प्रदर्शन उपरांत उत्पाद के विपणन हेतु शासन द्वारा सुनिश्चित कार्यक्रम बनाया जावे। योजनान्तर्गत बीज उत्पादन कार्यक्रम में प्रस्तावित रू. 1000 प्रति क्विंटल उत्पादन अनुदान को रा.कृ.वि.यो. (सामान्य) से अतिरिक्त अनुदान रू. 1000 प्रति क्विंटल किये जाने का सुझाव दिया गया। चूंकि वर्ष 2012-13 की अवशेष राशि (Unspent balance) रू. 482.914 लाख का उपयोग वर्ष 2013-14 के कार्यक्रमों में किया जाना है।
- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध राशि के अंदर ही प्रस्तावित कार्यक्रमों में युक्तियुक्तकरण किया जावे।

Handwritten signature

भारत सरकार द्वारा इस योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश एवं प्रावधानों के अध्याधीन राशि रू. 482.914 लाख के कार्यक्रम को वर्ष 2013-14 में क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। (विवरण परिशिष्ट-12 में संलग्न)

(II) उद्यानिकी विभाग-

(C) Oil Palm Area Expansion :-

- संचालक उद्यानिकी द्वारा अवगत कराया कि वर्ष 2013-14 हेतु इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राशि रूपये 125.00 लाख का Allocation प्रावधानित है। संयुक्त सचिव, भारत सरकार के सुझाव पर जिन स्थानों पर सुनिश्चित सिंचाई के जलस्रोत उपलब्ध है उन क्षेत्रों में OPAE योजना के मानक लागत अनुसार योजना क्रियान्वयन करने के निर्णय लिये गये।
- संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि आईल पॉम क्षेत्र विस्तार के साथ-साथ प्रसंस्करण हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं को भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जावे। संचालक उद्यानिकी ने अवगत कराया कि हितग्राहियों के उत्पादों के क्रय तथा प्रसंस्करण हेतु प्रतिष्ठित कंपनियों से एम. ओ.यू. निष्पादित किये जा चुके हैं तथा निष्पादन अनुरूप ही कृषकों का चयन कार्य प्रारंभ हो चुका है।
- मुख्य सचिव, छ.ग. शासन ने निर्देशित किया कि प्रस्ताव अनुरूप 250 हेक्टेयर क्षेत्र में इस कार्यक्रम को लिया जावे। समिति द्वारा राशि रूपये 166.50 लाख के प्रस्ताव को यथा प्रस्तावित स्वीकृत किया गया।(विवरण परिशिष्ट-13 में संलग्न)

(D) वेजीटेबल इनेसिएटिव इन पेरी अरबन एरिया (VIPUA):-

- संचालक उद्यान ने वर्ष 2013-14 हेतु 11 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि रूपये 1200.00 लाख का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संयुक्त सचिव, भारत सरकार ने अवगत कराया कि इस कार्यक्रम के संपादन हेतु राशि रूपये 1200.00 लाख का Allocation जारी किया जा चुका है।

५५

- अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग ने सुझाव दिया कि कार्यक्रम में प्रस्तुत सब्जियों की प्रजातियों के अतिरिक्त और अधिक प्रजातियों की सब्जियों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है, बैठक में उपस्थित संचालक अनुसंधान सेवायें डॉ. डी. ए. सरनाइक, इंगाकृवि रायपुर ने सुझाव दिया कि राज्य में खरीफ प्याज की बहुत अधिक संभावनायें हैं।
- संचालक उद्यान ने बताया कि सामान्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में खरीफ प्याज के कार्यक्रम को शामिल किया गया है। इस प्रकार समिति ने प्रस्तुत कार्ययोजना की कुल राशि रूपये 1200.00 लाख को यथा प्रस्तावित स्वीकृति दी। परियोजनाओं का घटकवार विवरण परिशिष्ट-14 में संलग्न हैं।

(E) National Mission for Protein Supplement (NMPS) :-

(i) मत्स्योद्योग विभाग- समिति द्वारा चर्चा उपरांत भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के तहत रूपये 948.00 लाख की योजना स्वीकृत की गई। (विवरण परिशिष्ट-15 पर है)

(ii) पशुपालन विभाग-

उपयोजना एन.एम.पी.एस अंतर्गत प्रस्तावित योजना Goat Cluster Development Program (50 New Clusters) पर चर्चा उपरान्त प्रस्तावित 50 नवीन गोट क्लस्टर में कॉम्पोनेन्ट गोट फीड हेतु प्रति क्लस्टर राशि रु 6 लाख अमान्य किया गया। इस प्रकार प्रस्तावित रु 400 लाख के स्थान पर 50 नवीन गोट क्लस्टर हेतु प्रति क्लस्टर रु 2.00 लाख के मान से कुल राशि रु 100 लाख स्वीकृत किया गया। (विवरण परिशिष्ट-15 पर है)।

(iii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित-

उपयोजना के प्रस्तुत प्रस्ताव पर भारत सरकार से आये संयुक्त आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्ताव को भारत सरकार के समक्ष नहीं आने के कारण कोई टीप नहीं दी गई है। To provide food supplement to lactating animal through DCS को समिति द्वारा अमान्य किया गया।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2013-14 हेतु दी गई स्वीकृति का विभागवार/संस्थावार गोशवारा निम्नानुसार है:-
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)

क्रमांक	संस्था/विभाग का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु.)
1	Agriculture	8267.30
2	Horticulture	5575.00
3	Seed Corporation	2453.30
4	IGKVV	2312.29
5	Fisheries	1927.89
6	Animal Husbandary	1186.19
7	C.G. Dugdh Mahasangh	1233.78
8	Kamdhenu University	1187.50
9	C.G. State Co-op. Markfed	11842.57
10	Chhattisgarh Rajya Sahakari Bank Mydt., Raipur	7496.70
योग-		43482.52

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (उपयोजना)

क्रमांक	उपयोजना का नाम	संस्था/विभाग का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु.)
1	BGREI	कृषि	20451.00
2	INSIMP		482.91
3	OPAE	उद्यानिकी	166.50
4	VIPUA		1200.00
5	NMPS	मत्स्योद्योग	948.00
		पशुपालन विभाग	400.00
योग-			23648.41

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कुल आबंटन की सीमा में ही उपरोक्त स्वीकृति प्रस्तावित की गई। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(अध्यक्ष, SLSC द्वारा अनुमोदित)


23/7/13
(अजय सिंह)

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं
प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय
स्वीकृति समिति (SLSC) की बैठक दिनांक 21.06.2013

—: उपस्थिति पत्रक :-

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम एवं विभाग/संस्था
1.	श्री सुनील कुमार	मुख्य सचिव, छ.ग. शासन
2.	श्री विवेक ढांड	अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पं.एवं ग्रा.वि.वि.
3.	श्री डी.एस. मिश्रा	अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन,वित्त एवं योजना विभाग
4.	श्री अतनु पुरकायस्थ	संयुक्त सचिव, भारत सरकार,कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली
5.	श्री अजय सिंह	कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, कृषि एवं सहकारिता विभाग
6.	श्री शंकर एल.	संयुक्त आयुक्त (मत्स्यकी), भारत सरकार पशुपालन,डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग
7.	डॉ. यू.के. मिश्रा	कुलपति, छ.ग. कामधेनु वि.वि., अंजोरा दुर्ग
8.	श्री पी.सी. मिश्रा	सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग,छ.ग. शासन,
9.	श्री प्रताप कृदत्त	संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर
10.	श्री भुवनेश यादव	संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. रायपुर
11.	डॉ. एस.के. पाण्डेय	संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छ.ग. रायपुर
12.	श्री व्ही.के. शुक्ला	संचालक, मछली पालन, छ.ग. रायपुर
13.	डॉ. एस.एस. गहरवार	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सह. दुग्ध संघ मर्या. रायपुर
14.	श्री ए.एन. मिश्रा	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, छ.ग. रायपुर
15.	श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी संस्थायें, छ.ग. रायपुर
16.	डॉ. डी.ए. सरनाईक	संचालक, अनुसंधान सेवायें, इं.गां.कृ.वि.वि. रायपुर
20.	श्री एस.आर. रात्रे	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं प्रमाणीकरण संस्था, छ.ग. रायपुर
21.	श्री पी.के. दवे	उप सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय
21.	श्री डी.डी. मिश्रा	अपर संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, छ.ग. रायपुर
22.	श्री एस.आर. वर्मा	संयुक्त संचालक कृषि, संचालनालय कृषि, छ.ग. रायपुर
23.	श्री विनोद वर्मा	अवर सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय
24.	श्री एच.के. नागदेव	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक रायपुर
25.	श्री व्ही.के. नागतोड़े	प्रबंधक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम,
26.	डॉ. एस.पी. तिवारी	संचालक, अनुसंधान सेवायें, छ.ग. कामधेनु वि.वि. अंजोरा दुर्ग

27.	श्री ए.के. श्रीवास्तव	ओ.एस.डी., छ.ग. राज्य सहकारी बैंक रायपुर
28.	डॉ. मेरी बी. जॉन	ओ.एस.डी., पशुपालन एवं विकास विभाग
29.	श्री के. मिश्रा	ओ.एस.डी., मछली पालन विभाग
30.	श्री मनोहर मूले	ओ.एस.डी. जल संसाधन विभाग
31.	श्री सुनील दुबे	संयुक्त संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. रायपुर
32.	श्री एस.राय	अधीक्षण अभियंता, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर
33.	डॉ. गौतम राय	वी.ए.एस., पशु चिकित्सा सेवायें, छ.ग. रायपुर
34.	श्रीमती हर्षा पौराणिक	उप संचालक, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय
35.	श्री एम.पी. अवधिया	उप संचालक कृषि अभियांत्रिकी, संचालनालय, रायपुर
36.	श्री मुकुल तयाल	सहायक महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य सह. दुग्ध महासंघ, रायपुर
37.	श्री आर. स्वर्णकार	एस.ए.डी.ओ. संचालनालय कृषि, छ.ग. रायपुर
38.	श्री रविन्द्र मेहरा	तकनीकी सहायक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. रायपुर

५

**Rashtriya Krishi Vikas Yojna (Normal) Proposed Programme
for Year 2013-14**

AGRICULTURE :-

S. No.	Components	Unit	Pattern of assistance	Proposed Target		Sanctioned by SLSC	
				Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
Rs. in lakhs							
A. Irrigation							
1	Subsidy to Farmer for SHALLOW TUBE WELL	Nos.	@ Rs.5,000/- for drilling & Rs 15,000/- for pump	5,000	1000.00	5,000	1000.00
2	Subsidy to Farmer for INSTALLATION OF SOLAR IRRIGATION PUMP	Nos.	10% Farmer Share per pump	100	55.00	100	55.00
3	Topup subsidy for Water Recharging TUBE WELL/WELL (NEW)	Nos.	Rs. 4,000 per unit	8,000	4,00	10,000	400.00
	Total (A)				1455.00		1455.00
B. Soil Health							
4	Analysis charges of soil samples analyzed by NGO/SAU/Fertilizer Co. (NEW)	Nos.	(i) N,P,K, pH, EC @ Rs. 146.07 per sample (ii) Zn, Fe, Cu, Mn, Mo, Bo @ Rs. 196.63 per sample (iii) SO4 @ Rs. 33.71 per sample	20,000	35.00	0.00	0.00
C. Crop Production							
5	(i) Distribution of Rice/ Hybrid Maize + NPK (Fertilizer) Kits to Forest Dwellers (NEW)	Acre	One acre (0.4 ha) each	1,75,000	2545.00	1,75,000	2545.00
	Total (C)				2545.00		2545.00
D. Capacity Building and Skill Development							
6.	Assistance to Shaheed Veer Narayan Singh Block Level Multipurpose Farmers Service Centre for maintenance and other contingent expenditure.	-	@ 1 lakh each	50	50.00	50	50.00

S. No.	Components	Unit	Pattern of assistance	Proposed Target		Sanctioned by SLSC	
				Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
E. Development of Farm Mechanization							
7	Assistance for establishment of Agro-Service Center (Agri-implement custom hiring)	Nos.	@ Rs. 10.00 Lakh for each centre worth Rs. 25.00 lakh	100	1000.00	100	1000.00
8	Purchase of paddy transplanter for divisional/district offices of Agri. Engineering (NEW)	Nos.	Cost 2.65 lakh each	8	21.20	0.00	0.00
9	Assistance to farmers for transplanting by paddy transplanter	Ha.	@ Rs.7,500 per ha.	2,000	150.00	2,000	150.00
	Total (E)				1171.20		1150.00
F. Macro - Management Work Plan							
10	Distribution subsidy to farmers on purchase of Certified High yielding variety seed of Paddy	Qtls.	Rs. 500 per qts. or 50% which ever is less	80,000	400.00	80,000	400.00
11	Distribution subsidy to farmers on purchase of Certified High Yielding variety seed of Wheat	Qtls.	Rs. 500 per qts. or 50% which ever is less	45,000	225.00	45,000	225.00
12	Assistance on procurement of Breeder Seed Paddy / Wheat	Qtls.	Actual Cost	1,260	35.00	1,260	35.00
13	Subsidy on Production of Certified / Foundation Seed - Wheat	Qtls.	Rs. 500 or 50% which ever is less	85,000	425.00	85,000	425.00
14	Distri. of Agri.Imp.As per MMA Norms	Nos.	As per MMA Norms	-	1500.00	-	1500.00
	Total (F)				2585.00		2585.00
15	Nutri-Farms	-	-	-	297.50	-	297.50
16	Administrative expenses/Monitoring Evaluation and other Contingent Expenditure	-	-		184.80		184.80
	Grand Total				8323.50		8267.30

h

परिशिष्ट-2 A

**राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत वर्ष 2013-14 में वितरण हेतु यंत्र
अनुसार प्रस्तावित लक्ष्य का अनुमोदन**

क्र.	यंत्र का नाम	अनुमानित औसत इकाई लागत	अनुदान प्रतिशत			अनुमानित लक्ष्य	लक्ष्य अनुसार अनुमानित देय अनुदान राशि (रु.लाख में)
			केन्द्र	राज्य	योग		
1	पावर टिलर	160000	40% अधिकतम 45000/-	20% अधिकतम 25000/-	60% अधिकतम 70000/-	1000	450.00
2	स्व चलित मशीने/रीपर आदि	140000	25% अधिकतम 40000/-	25% अधिकतम 40000/-	50% अधिकतम 80000/-	1100	400.00
3	पैडी ट्रांसप्लान्ट	200000	25% अधिकतम 40000/-	25% अधिकतम 50000/-	50% अधिकतम 90000/-	150	60.00
4	पावर वीडर	60000	25% अधिकतम 15000/-	25% अधिकतम 15000/-	50% अधिकतम 30000/-	50	7.50
5	पैडी/मल्टीकाप पावर थ्रेशर	150000	25% अधिकतम 12000/-	25% अधिकतम 12000/-	50% अधिकतम 24000/-	1000	120.00
6	पावर आपरेटेड विनोडिंग फैन	8500	25% अधिकतम 2000/-	25% अधिकतम 2000/-	50% अधिकतम 4000/-	900	18.00
7	रोटावेटर/जीरो टिलेज सीड कम फर्टि. ड्रिल एवं अन्य	85000	40% अधिकतम 20000/-	10% अधिकतम 10000/-	50% अधिकतम 30000/-	800	160.00
8	एम.बी. प्लारु/कल्टीवेटर/ लेवलर/केज व्हील/सीड ड्रिल/सीड कम फर्टि. ड्रिल/बंड फार्मर/रीजर/ डिस्क हैरो एवं अन्य	30000	25% अधिकतम 10000/-	25% अधिकतम 10000/-	50% अधिकतम 20000/-	2000	150.00
9	पौध संरक्षण यंत्र (आईसोपाम पैटर्न पर) मानव चलित	2000 (औसत)	50% अधिकतम 800/-	-	50% अधिकतम 800/-	1500	12.00
10	पौध संरक्षण यंत्र (आईसोपाम पैटर्न पर) शक्ति चलित	5000 (औसत)	50% अधिकतम 2000/-	-	50% अधिकतम 2000/-	400	8.00
11	हस्त/बैल चलित यंत्र (विभिन्न प्रकार के हल/ वीडर/सीड ड्रिल/सीड ट्रिटिंग ड्रम/उड़ावनी पंखा/ आदि)	5000 (औसत)	25% अधिकतम औसतन 1250/-	25% अधिकतम औसतन 1250/-	50% अधिकतम औसतन 2500/-	9600	120.00
महायोग						18500	1505.50 Say 1500.00

Horticulture :-

परिशिष्ट-“3”

Rs. in Lakh

S. No.	Programme	Unit	Scale per unit	Subsidy (Proposed Assistance)	Proposed Target		Sanctioned by SLSC	
					Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Establishment of New Gardens (For a maximum area of 4 ha. per beneficiary)							
	i. Fruits Perennial - New plantation /Maintenance							
	a) Mango	Ha.	0.40	0.18	125	22.50	100	18.00
	b) Lime	Ha.	0.40	0.18	50	9.00	50	9.00
	c) Guava	Ha.	0.40	0.18	250	45.00	0	0.00
	d) Custard Apple	Ha.	0.40	0.18	125	22.50	0	0.00
	e) Cashew nut	Ha.	0.24	0.12	13625	1635.00	13625	1635.00
	f) Coconut Plant Distribution (Total 74880 Plants: 5 plant each Beneficiary)	Ha.	0.1015	0.1015	480	48.75	480	48.75
	Sub total -				14655	1782.75	14255	1710.72
	ii. Fruits Non-Perennial							
	a) Banana	Ha.	0.83	0.416	1200	499.20	0	0.00
	b) Papaya	Ha.	0.83	0.416	315	131.04	0	0.00
	Sub total -				1515	630.24	0	0.00
	Total -				16170	2412.99	14255	1710.72
2	Diversification of Cropping Pattern -							
	iii. Area expansion of vegetables/spices in Rain fed area in place of upland Paddy.							
	a) Turmeric	Ha.	0.25	0.125	750	93.75	750	93.75
	b) Ginger	Ha.	0.25	0.125	750	93.75	0	0.00
	Total -				1500	187.50	750	93.75
3	Vegetables area expansion-							
	Vegetable crops area expansion (Hybrid)							
	a) Onion	Ha.	0.25	0.125	25,00	312.50	0	0.00
	b) Brinjal	Ha.	0.25	0.125	250	31.25	100	12.50
	c) Tomato	Ha.	0.25	0.125	250	31.25	100	12.50
	d) Okra	Ha.	0.25	0.125	500	62.50	100	12.50
	Total -				3500	437.50	300	37.50
4	Spices production							
	a) Chilli	Ha.	0.250	0.125	7,50	93.75	0	0.00
	b) Corriander	Ha.	0.250	0.125	1,00	12.50	0	0.00
	c) Turmeric	Ha.	0.250	0.125	7,51	93.88	0	0.00
	Total -				1601	200.13	0	0.00

4

S. No.	Programme	Unit	Scale per unit	Subsidy (Proposed Assistance)	Proposed Target for year 2013-14		Sanctioned by SLSC	
					Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Flower Area Expansion -							
	i) Bulbous flowers							
	a) Rajnigandha	Ha.	0.90	0.45	50	22.50	25	11.25
	b) Gladiolus	Ha.	0.90	0.45	200	90.00	25	11.25
	Sub Total -				250	112.50	50	22.50
	ii) Loose flower							
	a) Marigold	Ha.	0.24	0.12	700	84	49	5.88
	Total -				950	196.50	99	28.38
	Total - (1 to 5)				23721	3434.62	15404	1870.35
6	Protected Cultivation -							
	Green Shade Net 75% (100 sqm per beneficiary) Cost of Shade net may be restricted to Rs 600/sqm as per NHM guidelines	No.	0.60	0.30	5000	175.00	583	175.00
	Total -				5000	175.00	583	175.00
7	Horticulture Mechanization (Cost norms adopted from Agriculture Engineering)							
	(a) Power operated machines : All power operated equipments for horticultural purpose)	No.	0.60	0.30	200	60.00	100	30.00
	(b) All power machines and equipments for horticultural purpose	No.	1.16	0.35	150	105.00	160	56.00
	Total -				350	165.00	260	86.00
	Total - (1 to 7)				29071	3774.62	16247	2131.35
8	Crops demonstration -							
	1.Potato (1/20 ha. per beneficiaries and Total area covered 13.5 Ha.)	No.	0.028	0.028	30000	825.00	270	7.56
	2.Onion (1/10 ha. per Demonstration and Total area covered 8000 Ha.)	No.	0.02	0.02	80000	1600.00	80000	1600.00
	3.Bottle guard (1/10 ha. per Demonstration and Total area covered 15 Ha.)	No.	0.02	0.02	150	3.00	150	3.00
	4. Bitter gourd (1/10 ha. per Demonstration and Total area covered 15 Ha.)	No.	0.02	0.02	150	3.00	150	3.00
	5. Vegetable Minikit (Hybrid) (1/10 ha. per Demonstration and Total area covered 3372 Ha.)	No.	0.0125	0.0125	33720	421.50	33720	421.50
	6.Tree Spices (Tejpatta, Dalchini & Black Pepper) (1/4 ha. per Demonstration and Total area covered 250 Ha.)	No.	0.05	0.05	2000	100.00	2000	100.00

S. No.	Programme	Unit	Scale per unit	Subsidy (Proposed)	Proposed Target for year 2013-14		Sanctioned by SLSC	
					Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	7. Banana (TC) (1/10 ha. per Demonstration and Total area covered 1000 Ha.)	No.	0.05	0.05	10000	500.00	10000	500.00
	8. Rhyzomatic Spices (Turmeric) (1/10 ha. per Demonstration and Total area covered 1000 Ha.)	No.	0.013	0.013	10000	125.00	10000	125.00
	9. Rajnigandha/Gladiolus (1/20 ha. per Demonstration and Total area covered 80 Ha.)	No.	0.25	0.25	300	75.00	300	75.00
	10. Marigold (1/10 ha. per Demonstration and Total area covered 1000 Ha.)	No.	0.03	0.03	2500	75.00	2500	75.00
	Total -				168820	3727.50	139090	2910.06
9	Modernization and up-gradation of old nurseries							
	9.1 Community Orchard Development	Unit	12.28	8.4172	8	68.00	5	42.50
	9.2 Maintenance of Old Nurseries	No.	5.00	5.00	24	120.00	10	50.00
	9.3 Floriculture Demonstration cum Training centre (For Korea)	No.	70.00	70.00	1	70.00	1	70.00
	9.4 Chain link fencing in nursery	RM	0.00	0.004	25000	100.00	0	0.00
	2.5 Establishment of New Nursery (Raipur-2, Surguja-2)	No.	40.00	40.00	4	160.00	2	80.00
	Total -				25037	518.00	18	242.50
10	Human Resource Development (H.R.D.)							
	(a) Skill Development (Rs. 1.50 lakhs Styphand, 0.25 lakhs Stationery, 2.25 lakhs Operational expences)							
	(i) Training of Gardeners (25 gardeners each groups in 6 month training)	No.	-	4.00	10	40.00	4	16.00
	(ii) Training of Woman (25 Women each groups in 6 month training) for Fruit Preservation and Training	No.	-	4.00	5	20.00	4	16.00
	(b) Support to Institutes for strengthening infrastructure (one time)	No.	-	16.50	8	132.00	7	115.50
	(c) Exposure visit of farmers							
	i) Within the state (Rs.300.00/day per farmer excluding transport, 6 day visit is proposed.	No.	0.018	0.018	700	12.60	440	7.90
	ii) Outside the State (Rs.600.00 / day per farmer excluding transport, 7 days visit is proposed.	No.	0.042	0.042	628	26.38	0	0.00

S. No.	Programme	Unit	Scale per unit	Subsidy (Proposed)	Proposed Target for year 2013-14		Sanctioned by SLSC	
					Phy.	Fin.	1	2
1	2	3	4	5	6	7	1	2
	Total -				1351	230.98	455	155.40
11	Monitoring and Evaluation	L.S.						70.25
12	Administrative expenses					49.00		65.00
	Grand Total				224279	8300.00	155792	5574.56 or 5575.00

छ.ग. राज्य बीज विकास निगम:-

(राशि रु. लाख में)

SN	Component	Unit Cost	Phy.	Fin.	Remark
A	FARMS				
1	Construction of Farmer's Capacity Building Center (NEW)	25.00	10 No.	250.00	Sanctioned by SLSC as Proposed
2	Strengthening of Seed Farms (Mechanization)	17.00	08 No.	136.00	
B	PROCESSING CENTERS				
1	Farmer's Shed at Seed Processing Centers (NEW)	25.00	15 No.	375.00	
2	Boundary wall at Seed Processing Centers (Nigam Share 10% + RKVY 90%) (NEW)	3500/- per running mt.	44286 meter	1395.00	
3	Establishment of Automatic Weighing, Bagging & Loading Machines for processing centre (NEW)	14.50	5 set	72.50	
C	Conversion from Solid Bio-Fertilizer to Liquid Farm				
1	Construction of Cold Chamber	60.00	01 No.	60.00	
2	Establishment of Automatic Bottle Filling Machine (for manufacturing of liquid bio-fertilizer) (NEW)	50.00	1 No.	50.00	
3	Autoclave Machine for Bio-Fertilizer Plant	16.00	1 No.	16.00	
D	Cost of Breeder Seed Kharif & Rabi - 2013-14	-	1344 qtls.	74.80	
E	Administrative charges 1% of total amount	-	-	24.00	
	Total			2453.30	

Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya

Budget Approved for Year 2013-14
(Old projects sanctioned during 2012-13)

S. No.	Project title (Project sanctioned in SLSC 08.05.2012)	Duration of Projects (in years)	Rs. in lakhs	
			Amount required for 2 nd year 2013-14	Sanctioned by SLSC for Year 2013-14
1.	Evaluation of rice hybrids for irrigated ecosystem of rice CG/RKVY-AGRE/2012/543	3	5.00	5.00
2.	On farm and front line demonstration of released varieties of aromatic crops with special reference to oil yield and active ingredient in Chhattisgarh plain- CG/RKVY-AGRE/2012/549	3	4.00	4.00
3.	Mushroom Production Technology for women empowerment in untouched area of Chhattisgarh plains - CG/RKVY-AGRE/2012/551	3	9.00	9.00
4.	Dynamics of seed coating an innovative conservation of INM, by Enhancing Resource-use Efficiency, Seed Vigor establishment and nutrient use efficiency for higher productivity of major food crops under moisture stress conditions - CG/RKVY-AGRE/2012/553	3	2.00	2.00
5.	Quality seed production of low BOAA content Lathyrus varieties through farmers participation - CG/RKVY-AGRE/2012/552	3	5.00	5.00
6.	Production of Quality planting material through Tissue Culture techniques -CG/RKVY-AGRE/2012/519	3	11.25	11.25
7.	Studies on regional climate changes in Chhattisgarh and the techniques for its resilience for sustainable agriculture-CG/RKVY-AGRE/2012/556	3	3.00	3.00
8.	Development of molecular marker based techniques for assessment of seed purity in rice, mungbean and linseed -CG/RKVY-AGRE/2012/554	3	15.00	15.00
9.	Introgression of blast resistance gene(s) (<i>Pi9</i> , <i>Pik</i>) in Swarna and MTU1010 by Marker assisted Breeding - CG/RKVY-AGRE/2012/555	3	5.75	5.75
10.	Farm Machinery Introduction for Minor Millets - CG/RKVY-AGRE/2012/544	3	7.00	7.00
11.	Test milling of some common varieties of summer paddy grown in the state vis-à-vis kharif paddy - CG/RKVY-AGRE/2012/547	3	14.15	14.15
12.	Germplasm : maintenance, evaluation and seed multiplication of rice - CG/RKVY-AGRE/2012/566	3	11.20	11.20
13.	<i>Lathyrus</i> Germplasm : maintenance, evaluation and seed multiplication -CG/RKVY-AGRE/2012/520	3	5.00	5.00
14.	CG germplasm maintenance, characterization, identification donor rice lines for abiotic, biotic and grain nutritive content and DNA Fingerprinting of elite rice lines - CG/RKVY-AGRE/2012/518	3	10.00	10.00

15	Quality seed production of Horsegram through farmers participation in tribal areas -CG/RKVY-SEED/2012/546	3	2.80	2.80
16	Promotion & Development of wheat for heat tolerance - CG/RKVY-CROP/2012/545	3	3.00	3.00
17	Production Technology of Kharif Potato with Special References to Diseases Management for increasing productivity under Northern Hill of Chhattisgarh -CG/RKVY-AMEC/2012/557	3	5.00	5.00
18	Quality seed production of small millets through farmers participation in Bastar plateau - CG/RKVY-SEED/2012/561	3	9.25	0.00
19	Promotion of processing and food products from Tikhur & Kew Kand in Bastar region of Chhattisgarh - CG/RKVY-HORT/2012/562	3	5.00	5.00
20	Strengthening of Conservation and Characterization of Agricultural Biodiversity at Bastar, Chhattisgarh - CG/RKVY-AGRE/2012/563	3	5.00	5.00
21	Farmer Scientist interaction meet CG/RKVY/EXTN/2012/565	2	8.82	0.00
22	Kisan mela and exhibition CG/RKVY/EXTN/2012/560	2	250.00	0.00
23	Development of farm facilities in KVK's CG/RKVY/EXTN/2012/559	2	300.00	300.00
24	Demonstration cum technology transfer centre on protected cultivation of high value crops (PFDC) CG/RKVY/EXTN/2012/570	2	701.14	701.14
25	Centre for Applied Studies and Services to farmers CG/RKVY/AGRE/2013/599 (Sanctioned in SLSC 14.02.2013)	5	105.00	105.00
Total			1502.36	1234.29

(B) Proposed Programme for New Projects (2013-14)

S.N.	Components	Unit	Pattern of assistance	Proposed Target	Sanctioned by SLSC
				Fin. (Rs. in Lakhs)	
Research and Development (IGKV)					
Project 1	Establishment of Mother Orchard for Production of Quality Planting Material of Dryland Fruits (NEW)	01	100%	204.00	25.00
Project 2	Development of Bhatapara Farm (NEW)	01	100%	1053.00	1053.00
Total				1257.00	1078.00
Grand Total (A+B)				2491.29	2312.29

FISHERIES

S.No	Component	Unit Cost	Pattern of assistance	Proposed Programme		Sanctioned by SLSC	
				Physical	Financial	Physical	Financial
I	Normal RKVY						
A	Fish seed production						
1.	Establishment of circular hatchery -	Rs. 60.00 lakh/unit	100%	01	60.00	01	60.00
2.	Fish seed rearing in seasonal ponds.	Rs. 0.40 Lakhs/BF. (0.30 lakh Govt. & 0.10 lakh farmer contribution)	75%	400 farmers	120.00	400 farmers	120.00
3.	Renovation and strengthening of Govt./Fish Federation circular hatchery and fish seed farms.	7 Lakhs/ farm/ hat. or as per requirement	100%	6 farm	75.89	6 farm	75.89
B	Increasing fish production and productivity						
4.	Financial assistance for balanced integrated supplementary feed for fish.	Rs. 0.10 Lakhs/ BF.	100%	3000 farmers	300.00	3000 farmers	300.00
5.	Increase in fish productivity by Stocking of fingerlings fish seed in ponds.	Rs. 0.04 Lakhs/ BF. (0.03 lakh Govt. & 0.01 lakh farmer contribution)	75%	3500 farmers	105.00	3500 farmers	105.00
6.	Increase of fish productivity in ponds for demonstration.	Rs. 1.48 Lakhs/ BF. (1.11 lakh Govt. & 0.37 lakh farmer contribution)	75%	30 tanks/ hact.	33.30	30 tanks/ hact.	33.30
7.	Assistance for fisheries development in reservoir.	50% Govt. & 50% farmer contribution	50%	15000 hact. water area	150.00	15000 hact. water area	150.00
8.	Assistance to fishermen for retail fish market	Rs. 0.06 Lakhs/ BF. (0.045 lakh Govt. & 0.015 lakh farmer contribution)	75%	3000 farmers	135.00	3000 farmers	135.00
9.	Establishment of cold chain system for fish marketing.	Rs. 5 lakhs/unit	100%	5	25.00	5	25.00

10.	Assistance to Govt. farm/ponds for pangasius culture	Rs. 9.25 Lakhs/ BF.	100%	4 Govt. farm	37.00	4 Govt. farm	37.00
C.	Assistance to fishermen for Net and Boat purchase for fishing - increasing fishing efforts (As per requirement)						
11.	Cooperative Societies	Rs. 1 Lakh/ Society	100%	200 societies	200.00	200 societies	200.00
12.	Fishermen	Rs. 0.25 Lakh/ bene.	100%	300 farmers	75.00	300 farmers	75.00
13.	Net and Boat Purchase for Rivers	Rs. 0.40 Lakhs/ BF. (0.30 lakh Govt. & 0.10 lakh farmer contribution)	75%	300 farmers	90.00	300 farmers	90.00
D.	Promotion of extension services						
14.	State and District level seminar for fishermen.	Rs. 350/BF./ State seminar and Rs. 250/BF./ Distt. seminar	100%	27 unit and 1 state level		27 unit and 1 state level	
15.	Study tour for fisheries activity in the state and out of state.	Rs. 300/BF./ State study tour and Rs. 600/ BF./out of State study tour.	100%	400 farmers	14.40	400 farmers	14.40
16.	Assistance to fishermen for purchase of cifax	Rs. 3200/hact./ Fish farmer	100%	3200	102.40	3200	102.40
17.	Increase in fish production by cage culture of reservoirs. under (RKVY)	Rs. 334.00 lakh/units	100%	01	334.00	01	334.00
18.	Establishment of prawn culture unit - demonstration	Rs. 6.00 lakh/ unit	100%	02	12.00	02	12.00
19.	Establishment of Ornamental Fish Breeding & Rearing Unit for Demonstration New	Rs. 18.65 lakh/unit	100%	01	18.65	01	18.65
	Administrative Expenditure				15.00		15.00
	Total				1927.89		1927.89

4

ANIMAL HUSBANDRY

Rs. in lakhs

S. No.	Component	Proposal for year 2013-14	Sanctioned By SLSC
1.a	Establishment & Operation of “ Integrated Livestock Development Program ” Through Public Private Partnership Model (Total Project cost Rs.4367.85 Lakhs)	730.75	Held Up
1.b	Phase - II Establishment & Operation of “ Integrated Livestock Development Program ” Through Public Private Partnership Model (Total Project cost Rs.7883.47 Lakhs)	1827.00	Not Approved
2	Promotion and Support to Charwaha for enhancement of Artificial Insemination in Cattle and Buffaloes <i>Target: 146 Charwaha Training, 75,000 AI and 75,000 Castration</i>	36.64	36.64
3	Performance linked incentive for PAIW for Improved breed calf production <i>Target: 13,700 Calf Production</i>	137.81	137.81
4	Dairy Entrepreneurship Development Scheme – As per guidelines of DEDS Scheme of Govt. of India New Project <i>NABARD Reported 386 loan sanctioned but subsidy pending cases of 2011-12 and 2012-13 GoI and State Share together (50% for General 66.66% for ST or SC)</i>	400.00	400.00
5	Extension and Publicity of Livestock Rearing Practices and Government Schemes Pertaining to Livestock New Project <i>Reprints / Revised editions of Training and Extension Materials</i>	50.00	50.00
6	Composite Project for Capacity Building of Farmers, Paravets and Veterinarians	80.00	80.00
7	State wide PPR disease Control program <i>Target 33.35 Lakhs PPR Vaccination for Sheep and Goats</i>	174.00	174.00
8	State wide FMD disease Control program New Project <i>Target 45.00 Lakhs FMD Vaccination for Cattle / Buffalo</i>	332.00	116.00
9	Establishment of Cold Cabinet in 18 districts with cold cabinet room available from earlier RKVY project	180.00	180.00
10	Fodder Development Program Fodder seed Kit, Power driven, Chaffcutter, paddy straw ammoniation kit	606.00	0.00
	Total for Normal RKVY	4554.22	1174.45
	1% Administrative Expenses	45.54	11.74
	Grand Total	4599.67	1186.19

C.G. State Co-op. Dugdh Mahasangh

Rs. in lakhs

S. No.	Component	Proposed for year 2013-14	Sanctioned by SLSC
1	Establish Integrated Mobile Veterinary cum Livestock Development Centre in Milk Potential District of Chhattisgarh under Chhattisgarh Cooperative Dairy Federation (Phase - I) (Total Project cost Rs. 686.49L) Ongoing Project	94.14	Held Up
2	Establish Integrated mobile Veterinary cum livestock Development Centre in Milk Potential Districts of Chhattisgarh under Chhattisgarh Cooperative Dairy Federation (Phase - II) (Total Project cost Rs.705.00L) New	57.00	Not Approved
3	Promotion and Escalation of Milk Marketing of Chhattisgarh Cooperative Dairy Federation (Total Project cost Rs. 594.50 Lakhs)	299.52	100.00
4	Development of Dairy coop. Societies under Chhattisgarh Cooperative Dairy Federation, year 2013-14 (Total Project cost Rs. 348.75 Lakhs) New	348.75	100.00
5	Strengthening of Dairy Plant and Chilling Centers at Raigarh Dairy Under Chhattisgarh Cooperative Dairy Federation New	225.00	225.00
6	Strengthening of Dairy Plant and Chilling Centre at Basana (Dist. Mahasamund) under Chhattisgarh Cooperative Dairy Federation (CGCDF) (Total Project cost Rs. 360.00 Lakhs) Ongoing Project	360.00	360.00
7	Integrated management information system for procurement production and marketing of milk and milk products under CG Dairy Federation (Total Project cost Rs. 66.68 Lakhs)	66.68	0.00
8	Provide Balance Cattle Feed in Milk Potential Districts of (C.G.) year 2013-14 (Total Project cost Rs. 436.57 Lakhs)	436.57	436.57
	Administrative Expenses 1 %	18.88	12.21
	Total	1906.54	1233.78

M

C.G. KAMDHENU UNIVERSITY

**Budget Approved for Year 2013-14
(Old projects sanctioned during 2012-13)**

		Rs. in lakhs	
S. NO.	Component	Proposed Programme	Sanctioned by SLSC
A. College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Durg:			
1	Strengthening of Veterinary Pathology Lab for Diagnosis of Diseases	194.00	194.00
2	Up gradation of facilities for Teaching Veterinary Clinical Complex as Referral Hospital & Diagnostic Centre	213.50	213.50
3	Proposal To Strengthen Existing Animal House Facility For Prevention Of Cruelty And Supervision Of Experiments On Animals (PCSEA)	63.00	63.00
4	Strengthening of Zoonoses and Food Safety Laboratory	372.00	372.00
B. College of Dairy Technology:			
1	Zero energy integrated small milk production-cum-processing plant	245.00	245.00
C. College of Fisheries, Kawardha:			
1	Academic Strengthening of College of Fisheries, Kawardha	100.00	100.00
Total		1187.50	1187.50

C.G. STATE CO-OP. MARKFED Ltd.

Old Proposal Year 2011-12 & 2012-13 for Additional Sanctioned

						Rs. in lakhs
S. No.	Name of Components	Number of Const. Work	Total revised cost of the component	Initial (earlier) sanctioned cost of project by SLSC	Additional cost Sanctioned for allotment	Remark
1	Revised approval of construction of 3600 M.T. Godown sanctioned in year 2011-12	1	136.77	114.00	22.77	समिति द्वारा सक्षम तकनीकी एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किये जाने की शर्त पर अतिरिक्त लागत राशि रु. 723.46 लाख की स्वीकृति दी गई।
	Revised approval of construction of 5400 M.T. Godown sanctioned in year 2012-13	23	4020.69	3320.00	700.69	
Total		24	4157.46	3434.00	723.46	

New Proposals for Year 2013-14

Rs. in lakhs

S. No.	Name of Components	No. of Const. Work	Total cost of the component	Sanctioned by SLSC	Remark
2	New Proposal of Const. of New Godowns in the premises of capacity 5400 M.T. in year 2013-14	14	2485.11	2485.11	The proposed cost is on SOR PWD inclusive tender rates.
3	New Proposal for the const. of covered platform in paddy storage centers for year 2013-14	200	5200.00	5200.00	The proposed cost is on SOR PWD inclusive anticipated tender rates.
Total		214	7685.11	7685.11	
Grand Total		238	11842.57	11842.57	

Chhattisgarh Rajya Sahakari Bank Mydt., Raipur

Rs. in lakhs

S. No	Components	Unit	Pattern of Assistance	Proposed Target		Sanctioned by SLSC	
				Physical	Financial	Physical	Financial
1	Construction of Pakka Platform in Paddy Procurement Centers Size 10.80x7.20 mtr	Number	100% Assistance to cooperative societies Unit Cost 1.01 lacs for Hard Soil & 1.46 lacs for BC Soil	5245	6496.70	5245	6496.70
2	Scheme for Subsidy in Bank finance for Joint Liability Groups of Forest Dwellers and Share Croppers (NEW)	Nos.	Rs. 5000/- Per JLG	-	-	20000	1000.00
Total					6496.70		7496.70

Bringing Green Revolution in Eastern India (BGREI)

Year 2013-14

S. No.	Components	Unit	Target by GOI		Proposed Target		Rs. in Lakh Remark	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.		
A.	Rice Block Demonstration							
1	(a) Rainfed Upland Rice Unit Cost : Rs. 7912 per ha.	Ha.	25000	1978.00	21400	1693.17	भारत सरकार कृषि मंत्रालय के पत्र No./CBS, 6-4/2012-NFSM दिनांक 20.05.2013 अनुसार संशोधित कार्यक्रम भारत सरकार कृषि मंत्रालय को संशोधित प्रस्ताव भेजने तदनुसार भारत सरकार से प्राप्त सहमति /स्वीकृति के अध्याधीन राशि रु. 20451.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।	
	(b) Shallow Low land Rice Unit Cost : Rs. 7912 per ha.		25000	1978.00	29400	2326.13		
	(c) Irrigated - Traditional Variety Unit Cost : Rs. 7852 per ha★		69900	5488.55	39394	2699.28		
	(d) Irrigated - Hybrid Unit Cost : Rs. 7817 per ha.		10000	781.70	20900	1633.75		
	Toatl		129900	10226.25	111094	8352.33		
B.	Assets Building							
2	Pump Sets	Nos.	2900	290.00	0	0.00		
3	Dug Wells/Borewell /Borewell Topup (Rs. 7000 to 15000)	Nos.	12000	3600.00	5000	660.00		
4	Paddy Transplanters	Nos.	500	200.00	150	60.00		
5	Construction of MIT	Nos.			150	3834.67		
	Total			4090.00		4554.67		
C	State Specific							
6	Construction of Check dams	Nos.			400	4000.00		
7	Distribution of Agriculture Impliments As per MMA Norms					1500.00		
D	Marketing Support							
	Total			2044.75		2044.00		
	Total					5500.00		
	Grand Total (A+B+C+D+E)			20451.00		20451.00		

★ As per guideline unit cost is Rs. 6852/ ha, hence proposed financial target is calculated @Rs. 6852/ ha.

Initiative for Nutritional Security through Intensive Millets Promotion (INSIMP)

Year 2013-14

Rs. in lakhs

S. No.	Components	Proposed Target		Sanction by SLSC		Remark
		Phy.	Phy.	Phy.	Phy.	
1	Block Demonstration (Ha.)					योजना में भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश तथा के अध्याधीन घटकवार प्रस्तुत प्रस्ताव को क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
	Finger Millet (Ragi) @ Rs. 3200 per ha.	7000	224.000	7000	224.000	
	Barnyard Millet (Sawa) @ Rs. 2000 per ha.	200	4.000	200	4.000	
	Kodo Millet @ Rs. 2000 per ha.	5000	100.000	5000	100.000	
	Little Millet (Kutki) @ Rs. 2000 per ha.	500	10.000	500	10.000	
Total	12700	338.000	12700	338.000		
2	Seed Production Programme (Qtl.)					
	RAGI @ Rs. 1000 per qtls	1000	10.000	1000	10.000	
	KODO @ Rs. 1000 per qtls	600	6.000	600	6.000	
	KUTAKI @ Rs. 1000 per qtls	0	0.000	0	0.000	
Total	1600	16.000	1600	16.000		
3	Awareness Campaign		51.000		51.000	
4	Hand Holding Support					
	(a) Honorarium Support to TA/PF	50	24.000	50	24.000	
	(b) Training of selected farmers & TA's	40	40.000	40	40.000	
5	PHT					
	SHG - Complete Unit @ Rs. 4.00 lakh per unit	3	12.000	3	12.000	
	PHT Units Honorarium to TA @ Rs. 0.64 lakh per unit	3	1.914	3	1.914	
	Grand Total		482.914		482.914	

टीप:- वर्ष 2012-13 की अवशेष राशि (Unspent balance) रु. 482.914 लाख के विरुद्ध ५ स्वीकृति प्रदान की गई।

Implementation of Pilot Scheme on Nutri-Farms under RKVY

Year 2013-14

Unit : Phy. in Ha. Fin. Rs. in lakhs

Sl. No.	Activity	Mahasamund		Kabirdham		Jashpur		Total (Proposed Target)		Sanction by SLSC		Remark
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	
1	Cluster Demonstrations											भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु दिये गये निर्देश तथा उपलब्ध बीज आदि आदनों की उपलब्धता के अध्याधीन प्रस्तुत प्रस्ताव पर राशि रु. 297.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।
	Paddy	20	1.00	60	3.00	20	1.00	100	5.00	100	5.00	
	Maize	680	34.00	1000	50.00	2420	121.00	4100	205.00	4100	201.00	
	Finger Millet (Ragi)	50	2.50	50	2.50	50	2.50	150	7.50	150	7.50	
	Total	750	37.50	1110	55.50	2490	124.50	4350	217.50	4350	213.50	
2	Market link support for establishment of production & supply	1	25.00	1	25	1	25.00	3	75.00	3	75.00	
3	Publicity of the Programme	-	1.00	-	1	-	1.00	0	3.00	0	3.00	
4	Implementation & Monitoring (State level)	-	-	-	-	-	-	-	6.00	-	6.00	
	Total		63.50		81.50		150.50		301.50		297.50	

Oil Palm Area Expansion

Year 2013-14

Rs. in lakhs

S. N.	Components	Assistance Pattern	Subsidy Amount per unit (in Rs.)	Unit	Physical Target	Total Financial	Remarks
1	2	3	4	5	6	9	10
1	Distribution of planting material	85% of the cost of planting material limited to Rs 10000/- per Ha for entire land holding of the farmer	10,000	Ha.	2,50	33.34	भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देश के अनुसार योजना क्रियान्वयन करने की शर्त पर प्रस्तुत प्रस्ताव राशि रु. 166.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।
2	Assistance for cost of cultivation during gestation period	(i) 50% of the cost of cultivation to the for first year	6,000	Ha.	2,50	20.00	
		(ii) 50% of the cost of cultivation to the for 2nd year	35,00	Ha.	57	2.66	
3	Supply of drip irrigation systems	50% of the cost of drip irrigation system for spacing of oil palm plantation at 9X9M The assistance will be provided as per the subsidy admissible under National Mission on Micro Irrigation (NMMI) up to 5 ha per Farmer	10,450	Ha.	2,50	32.91	
4	Supply of Dissel/Electric pump set for drip systems	Pump set (diesel/electric) of capacity up to 10 HP @ 50% of the cost limited to Rs. 10000/pump set.	10,000	Ha.	2,50	27.60	
5	Inputs to intercropping in oil palm fields	(i) 50% of the cost limited to @ Rs. 10000/ha for purchase of planting material of horticulture inter crops/seed material of field crops (75% funds for procurement of planting material/ seeds and 25% for production /protection inputs for inter-crop fields)	10,000	Ha.	1,25	16.70	

		(ii) Input subsidy for inputs/seeds/planting material for the 2nd year.	50,00	Ha.	29	1.90	
6	Assistance for INM, IPM Fertigation, PP Chemicals & tree guards etc.	50% of the cost for INM, IPM, Fertigation, PP Chemicals & tree guards etc. limited to 5000/ha.	50,00	Ha.	2,50	16.67	
		(ii) input subsidy @ Rs. 1250.00 per ha. for 2nd year.	12,50	Ha.	57	0.94	
7	Construction of Vermi-compost units at Oil Palm fields	50% of the cost Limited to @ Rs. 15000/units of 15 Meter length 0.9 meter width and 0.24 meter depth	15,000	No.	23	4.60	
8	Subsidy for bore wells at oil palm farm	50% of the cost limited to @ Rs. 50000/bore well or water harvesting structure	50,000	No.	14	9.18	
Total						166.50	

Vegetable Initiative for Peri Urban Area (VIPUA) Year 2013-14

Rs. in lakhs

Sl. No.	Programme	Unit	Scale Per Unit	Subsidy	Total		Remark
					P	F	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vegetable Seedling Production - Public Sector	Ha.	104.000	104.000	2	208.00	भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देश के अनुसार योजना क्रियान्वयन करने की शर्त पर प्रस्तुत प्रस्ताव राशि रु. 1200.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।
Total						208.00	
2	Vegetable Cultivation						
	i. Open Field						
	Okra	Ha.	0.300	0.125	400	50.00	
	Tomato	Ha.	0.300	0.125	400	50.00	
	Brinjal	Ha.	0.300	0.125	400	50.00	
	Cabbage	Ha.	0.300	0.125	400	50.00	
	Sub Total				1600	200.00	
	ii. Hybrid Vegetable						
	Okra	Ha.	0.450	0.125	500	62.50	
	Tomato	Ha.	0.450	0.125	500	62.50	
	Brinjal	Ha.	0.450	0.125	520	65.00	
	Potato	Ha.	0.450	0.125	400	50.00	
	Cabbage	Ha.	0.450	0.125	400	50.00	
	Sub Total				2320	290.00	
Total					3920	490.00	
3	Protected Cultivation -						
	a) Green House Structure - Fan & Pad System	Sqm	0.01465	0.00733	10000	73.25	
	b) Shade Net House - Tubular Structure	Sqm	0.006	0.003	10000	30.00	
	Sub Total -					103.25	
4	Promotion of INM / IPM (50% subsidy).	Ha.	0.020	0.010	2000	20.00	
5	Organic Farming -						
	a) Adoption of Organic Farming (50% Subsidy)	Ha.	0.200	0.100			
	i. 1st year (40% subsidy)	Ha.	0.100	0.040	800	32.00	
	ii. 2nd year (30% subsidy)	Ha.	0.100	0.030	200	6.00	
	Sub Total -					58.00	
	b) Organic Certification (5.00 lakh for a cluster of 50 ha. 30:30:40 for 3 years) -						
	i. 1st year (30% subsidy) 50 Ha = 1Culster	PB	5.000	1.500	16	24.00	
	ii. 2nd year (30% subsidy) 50 Ha = 1Culster		5.000	1.500	4	6.00	
	Sub Total -					30.00	
	(c) Vermi compost units/organic input production unit -						
	50% of cost conforming for permanent structure to the size of 30' x 8' x 2.5' dimension to be administered on pro-rata basis.	No.	0.60	0.30	200	60.00	
Total						148.00	

6	Post Harvest Management -					
	a) Pack House (Size 9m X 6m)	No.	3.00	1.50	45	67.50
	b) Low cost onion storage structure (25 MT) - @50% subsidy.	No.	1.00	0.50	20	10.00
	c) Pusa Zero energy cool chamber (100 kg) - @50% subsidy.	No.	0.04	0.02	2163	43.25
Total						120.75
7	Marketing Infrastructure					
	a) Retail Markets / Outlets (Environment controlled) for Individual Entrepreneurs - General areas	No.	10.00	4.00	20	80.00
	b) Static / Mobile Vending Cart / Platform with Cool chamber (50% subsidy).	Unit	0.30	0.15	100	15.00
Total						95.00
8	HRD					
	Exposure visit of farmers					
	i. Training of farmers within the state (2day)	No.	0.015	0.015	500	7.50
	ii. Training of Farmers within district (2 days)	No.	0.015	0.015	500	7.50
Total						15.00
Grand Total -						1200.00

National Mission for Protein Supplement (NMPS)

Year 2013-14

Rs. in lakhs

S. No	Plan Programme	Unit Cost	Pattern of assistance	Proposed Programme		Sanctioned Programme by SLSC		Remarks
				Physical	Financial	Physical	Financial	
Fisheries								
1	Increase in fish production by cage culture of reservoirs.	Rs. 334.00 lakh/units	100%	02	668.00	02	668.00	भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देश के अनुसार योजना क्रियान्वयन करने की शर्त पर प्रस्तुत प्रस्ताव राशि रु. 948.00 लाख तथा रु. 400.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।
2	Construction of ponds on their own land (NMPS)	Rs. 07.00 lakh/ha. (2.80 lakh Govt. & 4.20 lakh farmer contribution)	40%	100	280.00	100	280.00	
TOTAL					948.00		948.00	
Animal Husbandry								
1	Goat Cluster Development Program			67	400.00	67	400.00	
TOTAL					400.00		400.00	
C.G. State Co-op. Dugdh Mahasangh								
1	To provide food supplement to lactating animal through DCS under Chhattisgarh Cooperative Dairy Federation (CGCDF), Year 2013-14 (Total Project cost Rs. 146.88 Lakhs) New			-	146.88	-	-	प्रस्ताव समिति द्वारा अमान्य किया गया
Total					146.88	-	-	